बिहार सरकार

वित्त विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक–.....

संख्या–1 / स्था०(ले०से०)–23 / 2023..... / वि०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार)	वर्त्तमान में धारित पद
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार झा	पूर्णियाँ	155	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
2	श्री नीरज कुमार	बेगूसराय	157	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
3	श्री भोला रविदास	नवादा	160	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
4	श्री पोरेश कुमार दास	पूर्णियाँ	162	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
5	श्रीमती सुलेखा कुमारी	नालन्दा	163	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
6	श्री नागेन्द्र राय	मुजफ्फरपुर	164	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
7	मो० सलीम अंसारी	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	165	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
8	श्री शशिकान्त विद्यार्थी	पटना	166	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
9	श्री चितरंजन प्रभाकर	जहानाबाद	167	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)
10	श्री मनोज कुमार वर्मा	औरंगाबाद	168	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (मूल कोटि)

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर–11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपरोक्त पदाधिकारियों के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हत्ता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त पदाधिकारी को उच्चतर पद पर दी गई अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।

5. पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

RMandal
23-10-2026

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–23/2023.....**/वि०, पटना, दिनांक–**.....

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–23/2023.....**/वि०, पटना, दिनांक–**.....

प्रतिलिपि–अवर सचिव, प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण संस्करण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–23/2023.....9886.....**/वि०, पटना, दिनांक–**.....23-10-2026.....

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R Mandal
23-10-2026

सरकार के अवर सचिव।